

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक-1559 /FP/UK/ROAD/11378/2015 :देहरादून:दिनांक: 8 नवम्बर, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद-अल्मोड़ा में जैती-बाँजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.45 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/255/2015/एफ0सी0/674 दिनांक 06-07-2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पातन किये जाने वाले वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 2140 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 21,40,000.00 (रु० इक्कीस लाख चालीस हजार) वन विभाग के पक्ष के जमा किया जा चुका है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 4,22,550.00 (रु० चार लाख बाईस हजार पाँच सौ पचास) वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की दरों में बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई दर से धनराशि जमा कर दी जायेगी। एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-1)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिए गये डिमाण्ड नोट के आधार पर ऑनलाईन जमा की गयी है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में GIS software generated geo-referenced map showing geo-coordinate of 200-300 m distance along the alignment including all turning points of the roposed road संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :- /FP/UK/ROAD/11378/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

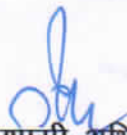
सिलेबक-1

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में जैती-बॉजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग  
मोटर मार्ग। लम्बाई—3.00 कि०मी०

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा

Challan

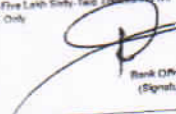
संलग्न - बिलाट

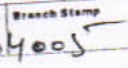
AGENCY COPY

गुप्तचर सेवा विभाग, Corporation Bank  
Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund  
Date : 07-06-2017

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Client Code.                 | CAM5089                                      |
| Location.                    | UTTARANCHAL                                  |
| Remitter Name.               | EXECUTIVE ENGINEER                           |
| PIF/Application No.          | 113113782015678                              |
| Address.                     | Provincial Division P.W.D.,<br>Almora Almora |
| Remitter Contact No.         | eeptalmora@rediffmail.com                    |
| Email Id.                    | 7533877888                                   |
| Mobile No.                   | 5982-2320033                                 |
| Landline No.                 | 25625501                                     |
| Amount(In Rs)                |                                              |
| Beneficiary Branch and Code. | FCS Branch (0632)                            |

Amount in Words Twenty-Five Lakh Sixty-Two Thousand Five Hundred and Fifty Rupees Only

Depositor Signature (Signature)  Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number   
161730170704005

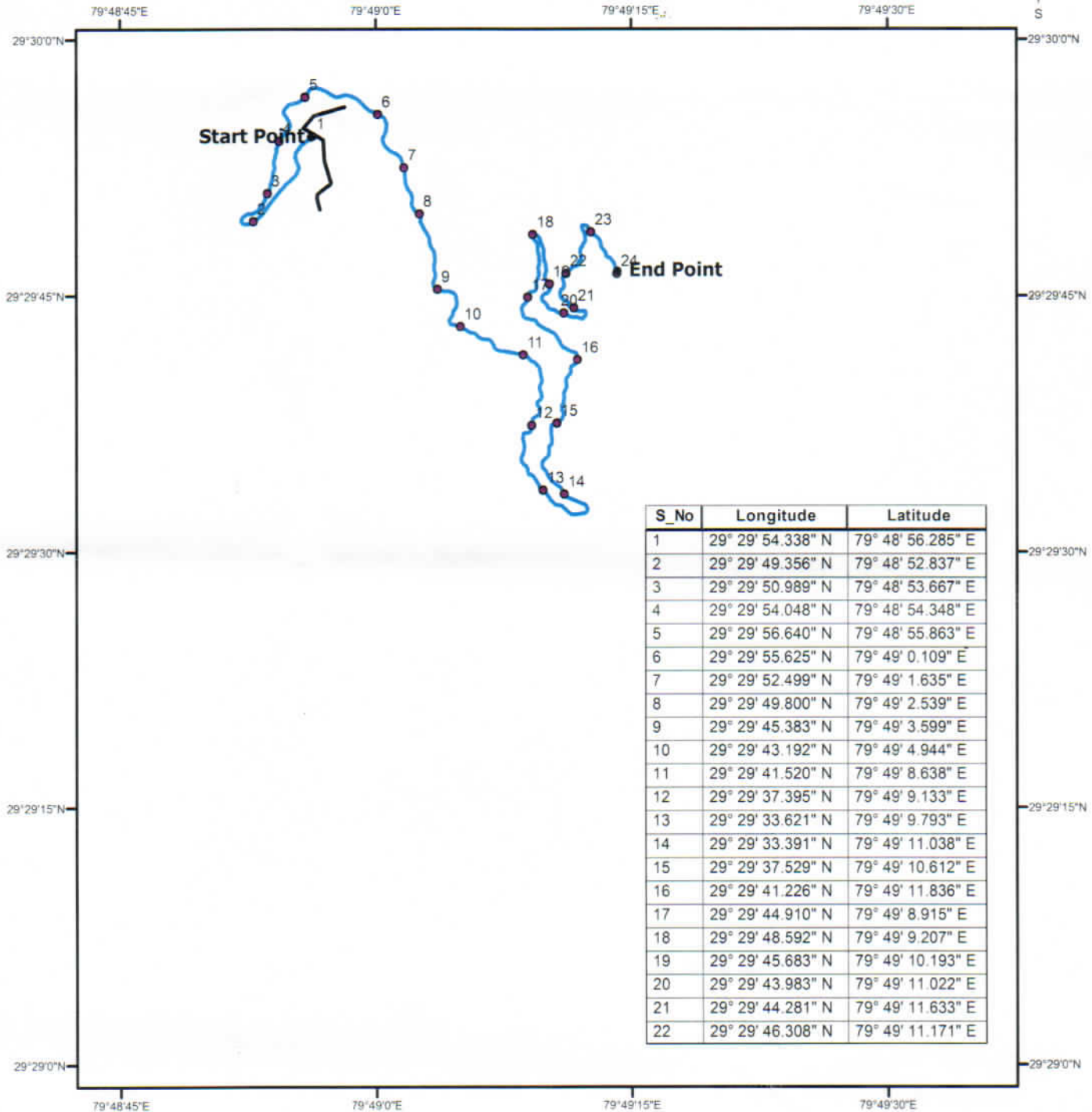
- Branches should use CMS memo (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INSTDD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies m:



परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में जैती-बॉजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०

## DIZITAL MAP (ALIGNMENT SHOWN ON MAP)



### Legend

- Proposed align
- Existing Jaithi Bajdhar MR

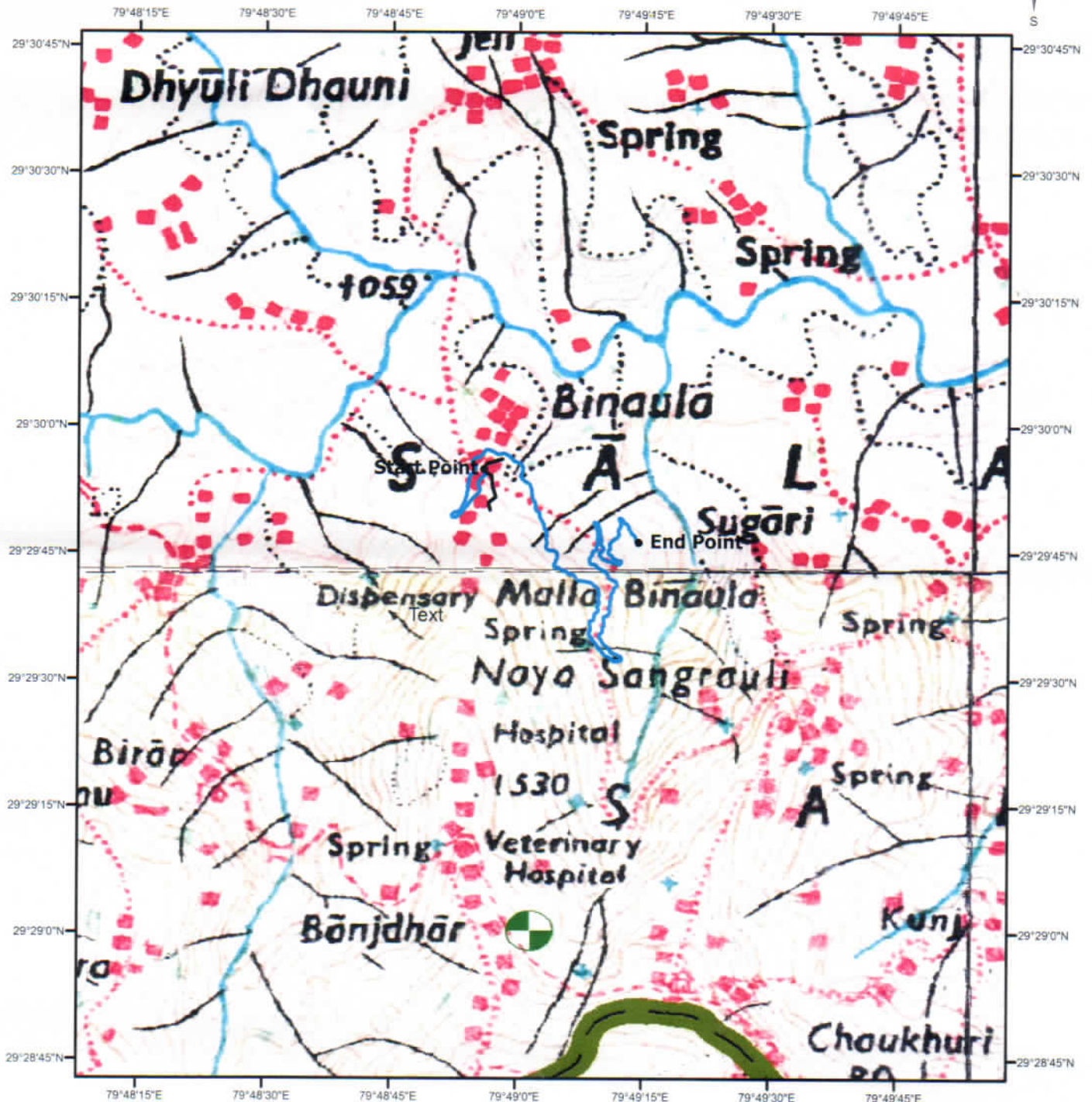
0.0 0.1 0.2 0.3 Kilometers

प्रमुख अधिकारी,  
राष्ट्रीय खण्ड, लो. नि. वि.  
अल्मोड़ा,

प्रविशाली प्रभियन्ता,  
राष्ट्रीय खण्ड, लो. नि. वि.  
अल्मोड़ा,

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में जैती-बोंजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 कि०मी०

SURVEY OF INDIA MAP (ALIGNMENT SHOWN ON MAP)



Legend

- Proposed align
- Existing Jaiti Bajdhar MR

0 0.10.2 0.4 0.6  
Kilometers

सहायक अभियन्ता,  
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा.

अधिसासी अभियन्ता,  
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०  
अल्मोड़ा.

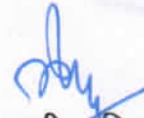
परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में जैती-बोंजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग  
मोटर मार्ग। लम्बाई-3.00 कि०मी०

मार्ग के दोनों किनारों पर(जहाँ सम्भव हो) वृक्षारोपण किये का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Cental Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा



अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
अल्मोड़ा